प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम गल्जवाडी में गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग (मसूरी रेंज में 0.158 है0 एवं मालसी रेंज में 0.609 है0) कुल 0.767 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम, देहरादून

अधिशासी अभियंता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून ।

संख्या– 1137 /उन्तीस(2)/18–2(37-पे0)/2018

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त अधिशासी अधिकारी,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

क्रमांक 33 (R)
डायरी संख्या 1697
पत्रावली का नाम N.R.D.W.P.
दिनांक 04/06/18

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 25 मई,2018

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (सामान्य) में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या– 53/2017 के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की गल्जवाडी पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–88 /DPR-79(XIV)/2017-18 दिनांक 10 मई,2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (सामान्य) में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या– 53/2017 के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की गल्जवाडी पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 436.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के कम में शासनादेश संख्या 874/उन्तीस(2)/18–2(22पे0)/2004टी0सी0–1 दिनांक 17 मई,2018 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त दिशा –निर्देशो के अनुरूप जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की गल्जवाडी पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 436.02 लाख (सेन्टेज रहित) पर विभागीय समिति द्वारा दिनांक 16 मई,2018 को सम्यक विचारोपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम (NRDWP) (सामान्य) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3– अतः मूल आगणन इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–874/उन्तीस(2)/18–2(22पे0)/2004टी0सी0–1 दिनांक 17 मई,2018 में प्रदत्त दिशा–निर्देशो तथा विभागीय समिति की बैठक दिनांक 16 मई,2018 की संस्तुति के अनुसार योजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन एन0आर0डी0 डब्ल्यू0पी0 के दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) से प्राप्त करते हुए योजना के सापेक्ष अपने स्तर से धन आवंटन की कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– मूल आगणन

भवदीय,
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

Photo copy Attested

4/06/18

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Dehradun